मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

शक्ति भवन, ब्लॉक नं.–9, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)–482 008

फोन नं. 0761–2702615, फेक्स – 0761–2665805

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./1425 जबलपुर, दिनांक 19/03/15

परिपत्र

ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के अनुमोदनानुसार म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के परिपत्र क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./अनु.नीति/4344 दिनांक 30.09.2013 एवं 4796 दिनांक 12.12.2014 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नीति जारी की गई है जिसमें (1) पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के ऐसे कार्मिकों, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 10.04.2012 द्वारा कंपनी को अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित किये गए हैं तथा कंपनी में कार्यरत या कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिकों की कंपनी के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, (2) 10 अप्रेल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात्, पुर्ववर्त्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी के ऐसे कार्मिक जिनकी मंडल/कंपनी का कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनके आश्रितों हेतु संशोधित अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2013 के प्रावधानों को परिपत्र क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/ मप्रपाजकंलि/स्था./अनु.नीति/4796 दिनांक 12.12.2014 से लागू कर दिया गया है ।

कम्पनी में उपरोक्त अनुकंपा नियुक्ति नीति के त्वरित एवं यथोचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है : –

(i) अनुकम्पा नियुक्ति नीति की कंडिका क्रमांक–7.1 एवं 7.2 के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आवेदन सामान्यतः दर्शाये परिपत्र के परिशिष्ट – एक के अनुसार मृतक कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य द्वारा उस कार्यालय के कार्यपालन यंत्री/कार्यालय प्रमुख जिसमें दिवंगत कंपनी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत् था, को प्रस्तुत किया जायेगा।

उस कार्यालय के कार्यपालन यंत्री/कार्यालय प्रमुख मृतक कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण इस परिपत्र के प्रावधानों के तहत करेंगे एवं प्रमाण पत्रों एवं छायापतियों को संबंधित कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री द्वारा उनका मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन करने के उपरॉत अपनी अनुशंसा सहित अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरण वृत्त के अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख को प्रेषित करेंगे । तथापि संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु जॉच बिंदु का प्रपत्र परिशिष्ट – तीन में संलग्न है।

(ii) अनुकम्पा नियुक्ति नीति की कंडिका क्रमांक–7.3 के अनुसार, वृत्त के अधीक्षण यंत्री/विभाग प्रमुख मृतक कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों का अपने स्तर पर संशोधित अनुकंपा नियुक्ति 2013 के तहत प्रावधानोंनुसार पुनः परीक्षण करेंगे तथा तदोपरॉत प्रकरण अपनी टीप सहित संबंधित विद्युत गृह/परियोजना /मुख्यालय के विभाग प्रमुख को प्रेषित करेंगे। विद्युत गृह/ परियोजना/मुख्यालय प्रमुख केवल पात्रता प्राप्त आवेदकों के प्रकरण निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही संपूर्ण दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों एवं सहमति सहित मानव संसाधन एवं प्रशासन कार्यालय जबलपुर को प्रेषित करेंगे।

इन प्रावधानों के अंतर्गत जिन आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है उन्हें संबंधित विद्युत गृह/ परियोजना /मुख्यालय के विभाग प्रमुख अपने स्तर पर ही तदानुसार सूचित करने की व्यवस्था करेंगे ।

(iii) अनुकम्पा नियुक्ति नीति की कंडिका क्रमांक–7.4 के अनुसार, कंपनी के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगा इस हेतु मानव संसाधन एवं प्रषासन विभाग अपने कार्यालय में निम्न दो जानकारियॉ अद्यतन स्थिति में संधारित करेगा :–

(अ) अनुकंपा नियुक्ति हेतु पदों की ताप/जल विद्युत गृह/मुख्यालय के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति।

(ब) अनुकंपा नियुक्ति हेतु ताप/जल विद्युत गृह/मुख्यालय के अंतर्गत प्राप्त पात्र आवेदनों हेतु मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार पंजी (जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों को, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य मृत्यु के प्रकरणों के ऊपर प्राथमिकता दी जावेगी तथा दुर्घटना मृत्यु के आवेदनों पर विचार किये जाने के उपरान्त ही अन्य प्रकरणों पर विचार किया जावेगा) इस बावत् कार्यालय में संधारित की जाने वाले पंजियों में मृत्यु दिनॉक के कम में इन्द्राज किया जायेगा ।

एक ही दिनॉक के एक से अधिक प्रकरण पर निम्न श्रेणी क तथा ख के कम में वरीयता दी जायेगी –

(क) कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना विद्युत दुर्घटना या कार्य करते समय हमलावरों द्वारा हत्या ।

(ख) कार्य करते समय वाहन दुर्घटना में मृत्यु ।

ऐसी किसी स्थिति में जहॉ कार्मिक की मृत्यु दिनॉक / मृत्यु का कारण समान हो वहॉ पर मृतक कार्मिक के उस परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिसके खाते में मृत्यु दिनॉक के समय अधिक कार्यावधि शेष रही हो । प्राथमिकता निर्धारण में कंपनी का अभिमत अंतिम होगा।

(iv) अनुकंपा नियुक्ति नीति की कंडिका क्रमांक 4.1 में उल्लेखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु शैक्षणिक/अर्हता एवं कंडिका–5.3 में कंपनी द्वारा निर्धारित आयु सीमा का उल्लेख नहीं है । अतः कंपनी के मृतक कर्मचारी के परिवार के आश्रितों को परिशिष्ट–एक मे दर्शाये पदों पर अनुकंपा नियुक्ति, उनके समक्ष उल्लेखित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के अनुसार प्रदान की जावेगी (परिशिष्ट–दो) । पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति हेतु परिशिष्ट एक में उल्लेखित तालिका में कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 08 (आठ) वर्ष की छूट दी जावेगी, परन्तु आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक कंपनी सेवक की पत्नि के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेगी ।

(v) संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति की कंडिका क्रमांक 3.9 के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य द्वारा संशोधित अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2013 जारी करने की दिनॉक 12.12.2014 से एक वर्ष की समयावधि के अंदर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन उस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था । तथापि 12.12.2015 के पश्चात् कर्मचारी की दुर्घटना मृत्यु तिथि से छः माह के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

(vi) संशोधित अनुकम्पा नियुक्ति नीति 2014 में कंपनी के उन कार्मिकों के आश्रित, जो कि ऐसे कार्यालय में कार्यरत् थे जिसका अंतरण/आमेलन/पुर्ननामकरण हुआ हो अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन संबंधित विभाग प्रमुख जिसमें मृतक कार्मिक के कार्यालय का अंतरण/आमेलन /पुनर्नामकरण हुआ है (भले ही वह कार्यालय वर्तमान में अस्तित्व में न हो) के माध्यम से आवेदन की छानबीन एवं अनुशंसा सहित आवेदन मानव संसा0 विभाग में प्रेषित कर सकते है।

(vii) उपरोक्तानुसार मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नीति एवं आवेदन करने हेतु पात्रता/प्रपत्रों व अन्य जानकारी, यथा– आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयसीमा की जानकारी (परिशिष्ट – चार) उस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी, जहॉ मृतक कर्मचारी कार्यरत था ।

तदानुसार, कृपया उपरोक्त निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी में "संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति–2013" का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– परिशिष्ट– एक से चार तक

आदेशानुसार,

(एक.के. अवस्थी)
कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.,जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/स्था./1426 जबलपुर, दिनांक 19/03/15

प्रतिलिपि : –

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. मैने.कं.लि./म.प्र.पॉ.ट्रांस., जबलपुर ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल ।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. कार्यपालक निदेशक (संचा.संधा.–उत्पा.)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभियांत्रिकी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
5. मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.–जलविद्युत)/(परि.–उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/(उत्पा.) संगांताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/ बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/इंदौर
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
10. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर
11. अति. मुख्य अभि.(उत्पा–भंडार)/(सीएस)/(सिविल) सर्वे.एवं अन्वे.–जलविद्युत वृत्त/(टीएचसी),म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
12. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., भोपाल ।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सालय, म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर ।
14. मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, कंपनी चिकित्सालय, अताविगृ/सताविगृ/संगांताविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., चचाई/सारनी/बिरसिंहपुर ।
15. अधीक्षण अभियंता (उत्पा.), गांधीसागर/पेंच/राअबासा/राजघाट/मड़ीखेड़ा/बाणसागर–II/III/IV जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., गांधीसागर/तोतलाडोह/बरगीनगर/चंदेरी/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना ।
16. संयुक्त सचिव–एक/कंपनी सचिव, कार्या.–कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
17. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी/(सीओजी एण्ड एचएस)/संगांताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/ खण्डवा/सिरमौर ।
18. निज सचिव/निज सहायक सम्बद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।

–को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव–दो,
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.कं.लि.,जबलपुर

परिशिष्ट– एक

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. दिवंगत कार्मिक का पूर्ण नाम ....
2. दिवंगत कार्मिक के पिता/पति का नाम ....
3. पदनाम ....
4. दिवंगत कार्मिक की कर्मचारी संख्या ....
5. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का दिनांक ....
6. दिवंगत कार्मिक की मृत्यु का कारण
   (i) क्या कर्मचारी की मृत्यु कंपनी/मण्डल के कार्य के दौरान हुई है ? यदि हॉ तो नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
7. कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत कार्मिक पदस्थ था/थी ....
   ....
8. आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....
9. दिवंगत कार्मिक से संबंध ....
10. स्थायी पता ....
    ....
11. वर्तमान पता ....
    ....
12. जन्म तिथि .... अंकों में ....
    शब्दों में ....
13. आवेदन दिनांक पर आयु – वर्ष/माह/दिन ....
    ....
14. जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) ....
    ....
15. शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
16. अन्य अर्हताओं का विवरण ....
17. दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति :–

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत कार्मिक से संबंध	यदि सेवारत हों तो उसका विवरण, कंपनी/अर्द्ध–शासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/ असहमति	सहमति/ असहमति हेतु हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

घोषणा – पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व.श्री .... (दिवंगत कार्मिकका नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करुगां/करुगीं। बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान – ....
दिनांक – ....

....
आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

<u>कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण</u>

<u>प्रमाणित किया जाता है कि :–</u>

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये सम्पूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है ।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार, आय एवं संमत्ति का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है ।
3. मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही, दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत कंपनी सेवा कार्यरत था/थी)
नाम ....
कार्यालय का नाम ....
....

<u>टीप</u> – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावे ।

(1) दिवंगत कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
(2) शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र ।
(3) जन्म तिथि प्रमाण पत्र ।
(4) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवास होने का प्रमाण पत्र ।
(5) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण पत्र।
(6) कंडिका 17 में दर्शाये गए परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा <u>नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सक्षम नोटरी द्वारा प्रमाणित सहमति/अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र</u> ।

———

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

क्र	श्रेणी	पद	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	कंपनी द्वारा निर्धारित सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा
1	तृतीय	कार्यालय सहायक–III	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा {10 + 2} कम से कम द्वितीय श्रेणी में अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा {10 + 2} किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् म0प्र0शासन भोपाल से टंकन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कम से कम स्नातक परीक्षा किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण	18 से 30 वर्ष
2	तृतीय	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	The candidate must be a matriculate and have passed an appoved shorthand and typewriting exams	20 से 27 वर्ष
3	तृतीय	संयंत्र सहायक (यांत्रिकी /विद्युत)	1–कम से कम 60% अंको के साथ हाईस्कूल सर्टिफिकेट एवं म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थाओं से मशीनिष्ट/फिटर/वेल्डर/हाई प्रेशर वेल्डर/ पम्प मैंकेनिक/व्हीकल मैकेनिक/इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन/मोटर मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारक। एवं National Trade certificate for broad based basic training and national trade certificate for advance module in Electrical Trade from ITI under certre of Excellence scheme shall also be considered equivalent to the qualification of ITI (Electrical) Trade	18 से 27 वर्ष
4	तृतीय	अग्निशामक (फायरमेन)	अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम पूर्ण होना अनिवार्य है अर्थात् अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से कम नहीं होना चाहिए एवं अग्निशमन पाठ्यक्रम संस्थान म॰प्र॰ राज्य शासन/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।	18 से 27 वर्ष
5	तृतीय	फार्मासिस्ट	उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. राज्य शासन द्वारा परिचारिका एवं औषधि संयोजक के लिये निर्मित पंजीयन परिषद में पंजीकृत होने के साथ औषधि संयोजक (फार्मासिस्ट) अथवा फार्मेसी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है ।	18 से 30 वर्ष

6	तृतीय	स्टाफ नर्स	उच्चतर माध्यमिक स्कूल (10+2) प्रमाण–पत्र के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा तथा सामान्य परिचर्या की 3 वर्ष की परीक्षा के साथ–साथ सहायक परिचारिका एवं प्रसाविका की 6माह की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिये एवं महाकौशल परिचारिका पंजीयन परिषद भोपाल द्वारा पंजीकृत होना चाहिए ।	18 से 30 वर्ष
7	तृतीय	मिडवाईफ (ए.एन.एम.)	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ मिडवाइफरी का दो वर्ष का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए या ऐसा कोई प्रमाण पत्र जो शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त हो ।	18 से 30 वर्ष
8	चतुर्थ	महिला परिचारक / वार्ड आया / वार्ड बॉय	न्यूनतम कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण और अधिकतम उच्चतर साध्यमिक परीक्षा {10 + 2} किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण	18 से 30 वर्ष
9	चतुर्थ	लेब अटेंडेंट	1 न्यूनतम कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण और अधिकतम उच्चतर साध्यमिक परीक्षा {10 + 2} किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण 2– प्रयोगशाला / अस्पताल में परिचारक के रूप में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।	18 से 30 वर्ष
10	चतुर्थ	भृत्य	न्यूनतम कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण और अधिकतम उच्चतर साध्यमिक परीक्षा {10 + 2} किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण	18 से 30 वर्ष
11	चतुर्थ	संयंत्र परिचारक (संविदा पद)	न्यूनतम कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण और अधिकतम उच्चतर साध्यमिक परीक्षा {10 + 2} किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण	18 से 27. वर्ष

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु जॉच बिंदु का प्रपत्र

क्र	विषय	स्थिति	टीप
(1) पात्रता की शर्तें			
1.1	क्या प्रकरण दिनॉक 15.11.2000 के पूर्व का अस्वीकृत निराकृत एवं लंबित प्रकरण	हॉ / नहीं	
1.2	(अ) क्या कार्मिक की मृत्यु दिनॉक 10 अप्रेल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात्, पुर्ववर्त्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई है ।	हॉ / नहीं	
	(ब) क्या कार्मिक की मृत्यु दिनॉक 10 अप्रेल, 2012 के पश्चात् कंपनी कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई है ।	हॉ / नहीं	
	(स) कार्मिक की मंडल/कंपनी के कार्य करते हुए उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दर्शाये मृत्यु के कारणों की पुष्टि हेतु प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न हैं।	हॉ / नहीं	
	(द) परियोजना/विद्युत गृह/मुख्यालय प्रमुख द्वारा कार्मिक की मंडल/कंपनी के कार्य करते हुए उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दर्शाये मृत्यु के कारणों की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	हॉ / नहीं	
1.3	(अ) क्या संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति दिनॉक 12.12.2014 के पूर्व हुई दुर्घटना मृत्यु का आवेदन संशोधित अनुकंपा नीति दिनॉक 12.12.2014 से 12 माह के अंदर अर्थात् 12.12.2015 के पूर्व प्राप्त हुआ है।	हॉ / नहीं	
	(ब) क्या दिनॉक 12.12.2014 के पश्चात् हुई दुर्घटना मृत्यु का आवेदन मृत्यु दिनॉक से 6 माह के अंदर प्राप्त हुआ है ।	हॉ / नहीं	
1.4	क्या दिवंगत कार्मिक किसी विशेष में कार्यरत् न होकर पूर्ववर्ती मंडल की कॉमन सेवाओं में कार्यरत था यदि हॉ तो कार्यालय का विवरण एवं वह कार्यालय वर्तमान में किस कंपनी के अंर्तगत अवस्थित होता (ऐसे आवेदन एम.पी. पी. एम.सी.एल. द्वारा स्वीकार किये जायेंगे)।	हॉ / नहीं	
1.5	क्या दिवंगत सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य पूर्व से शासकीय सेवक अथवा केन्द्र या किसी राज्य शासन के निगम, मंडल, परिषद्, आयोग, कंपनी आदि में नियोजित है ।	हां / नहीं	
1.6	क्या दिवंगत कार्मिक के परिवार का अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसे स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम, मंडल, परिषद्, आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति है ।	हां / नहीं	
1.7	क्या दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था अथवा बाह्य स्त्रोत एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत था ।	हां / नहीं	

(2) – अनुकंपा नियुक्ति हेतु आश्रित की पात्रता			
2.1	क्या आवेदक दिवंगत कार्मिक की पत्नी/पति है एवं पूर्णतः आश्रित है ?	हां/नहीं	
2.2	(अ) क्या आवेदक दिवंगत सेवक का पुत्र है, अथवा (ब) अविवाहित पुत्री है अथवा ऐसी विवाहित पुत्री है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह तलाकशुदा है तथा ऐसी अविवाहित, विवाहित अथवा तलाकशुदा पुत्री होकर दिवंगत सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही थी ।	हां/नहीं हां/नहीं	
2.3	अ. क्या कंपनी सेवक के परिवार में एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं ? ब. क्या आवेदक हेतु, (1) पत्नी/पति की सहमति एवं, पति/पत्नी के न होने पर, परिवार की सर्वसम्मति है ? (2) परिवार की सहमति न होने पर कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसी अनुकंपा नियुक्ति दी जाये ?	हां/नहीं हां/नहीं	
2.4	क्या आवेदक दिवंगत कार्मिक के परिवार का पूर्णतः आश्रित सदस्य है ?	हां/नहीं	
2.5	अ– क्या मृतक के आश्रितों को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के परिपत्र क्रमांक 01–07/छः/सी.एफ.ए./ 482 दिनांक 05.08.2006 या म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के प्रावधानों के अनुसार कोई अनुकम्पा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है ? ब– यदि हॉ, तो आदेश की प्रति संलग्न करें ।	हॉ/नहीं	
2.6	अ– क्या मृतक के आश्रितों को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के परिपत्र कमांक 01–05/VI/765 दिनांक 30.01.1989 एवं परिपत्र कमांक 01–05/VI/N/4022 दिनांक 29.07.2010 या म.प्र.पॉ.जन.कं. लि. के प्रावधानों के तहत एन्यूटी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? ब– यदि हॉ तो आदेश की प्रति संलग्न करें ।	हॉ/नहीं	
(3) – अनुकंपा नियुक्ति का पद			
3.1	क्या आवेदन में निवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक अर्हता, योग्यता एवं अन्य न्यूनतम मापदण्डों का आवेदक के द्वारा पालन हो रहा है ?	हां/नहीं	
(4) – अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण			
4.1	क्या पात्र आश्रित निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष जोड़ने अथवा मृत्यु दिनांक से संशोधित नीति जारी होने की तिथि, जो भी अधिक हो जोड़ने के उपरांत भी आयुसीमा के अंतर्गत है ?	हां/नहीं	

ताप/जल विद्युत गृह /परियोजना/
मुख्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदमुहर

परिशिष्ट– चार

संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 की पात्रता हेतु जॉच बिंदु का प्रपत्र

क	विषय	दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात् दुर्घटना मृत्यु प्रकरणों हेतु		दिनांक 10.04.2012 के पूर्व पश्चात् दुर्घटना मृत्यु प्रकरणों	
		कंडिका क्र0	विवरण	कंडिका	विवरण
1	आवेदन पत्र स्वीकार करने की समय सीमा	3.9	दिनॉक 12.12.2014 से 01 वर्ष तक		दिनॉक 12.12.2014 से 01 वर्ष तक एवं 12.12.12.2015 से मृत्यु तिभि से छ माह तक
2	अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद उपलब्धता संबंधी समय सीमा	3.9	दिनॉक 12.12.2014 से 03 वर्ष	3.2	कंपनी सेवक की मृत्यु दिनॉक से 07 वर्ष
3	अधिकतम आयु की समय शिथिलता हेतु सीमा (अ) दिवंगत कामिक की पत्नि/पति को	5.3	पूर्णतः शिथिल ।	5.3	पूर्णतः शिथिल ।
	(ब) दिवंगत कामिक के अन्य आश्रित पात्रों को	5.5	निर्धारित आयु सीमा में दुर्घटना मृत्यु दिनांक से नीति जारी होने की तिथि अथवा 8 वर्ष, जो भी अधिक हो, की छूट दी जावेगी ।	5.3	अधिकतम 8 वर्ष
4	न्यूनतम अर्हता हासिल करने हेतु समय सीमा (अ) दिवंगत कामिक की पत्नि/पति को (ब) दिवंगत कामिक के अन्य आश्रित पात्रों को	5.4 5.4	3 वर्ष 3 वर्ष	5.4 5.4	3 वर्ष 3 वर्ष